रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2019/श्रावण 23, 1941
No. 242] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2019/SHRAVANA 23, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2019

जांच शुरूआत
(द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच)
[वाद संख्या (एसजी) 04/2019]

विषय: भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) नियमावली, 2017 के अंतर्गत मलेशिया से भारत में 'रिफाइन्ड किया हुआ ब्लीच किया हुआ डियोडराईज किया हुआ पामोलिन और 'रिफाइन्ड किया हुआ ब्लीच किया हुआ डियोडराईज किया हुआ पाम ऑयल' के आयातों के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच शुरूआत करने का नोटिस ।

फा.सं. 22/4/2019-डीजीटीआर.—भारतीय घरेलू उत्पादकों की ओर से साल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मैसर्स टी पी एम कन्सलटेंट्स, नई दिल्ली के माध्यम से भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) नियमावली, 2017 के अंतर्गत यह मलेशिया (इसके पश्चात संबद्ध देश के रुप में भी संदर्भित) से "रिफाइन्ड किया हुआ ब्लीच किया हुआ डियोडराईज किया हुआ पाम ऑयल"और 'रिफाइन्ड किया हुआ ब्लीच किया हुआ डियोडराईज किया हुआ पामोलिन"(इसके पश्चात संबद्ध वस्तुओं का "विचाराधीन उत्पाद"अथवा "पी यू सी"के रुप में भी संदर्भित) के बढ़े हुए आयातों जिसके कारण भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों अथवा सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद से गंभीर क्षति हुई है/गंभीर क्षति का खतरा है, का आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया गया है।

2. **विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी)** : वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 का एच एस कोड 15119010 और 15119020 के अंतर्गत आने वाला "रिफाइन्ड किया हुआ ब्लीच किया हुआ डियोडराईज किया हुआ पाम ऑयल"और "रिफाइन्ड किया हुआ ब्लीच किया हुआ डियोडराईज किया हुआ पामोलिन"(क्रमश: आर बी डी पाम ऑयल और आर बी डी पामोलिन के रुप में भी जाना जाता हैं) है।

3. घरेलू उद्योग : यह आवेदन भारत में "रिफाइन्ड किया हुआ ब्लीच किया हुआ डियोडराईज किया हुआ पाम ऑयल"और "रिफाइन्ड किया हुआ ब्लीच किया हुआ डियोडराईज किया हुआ पामोलिन"के उत्पादकों की ओर से साल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर किया गया है। इस याचिका में समग्र रुप में भारतीय उद्योग के लिए सूचना निहित है। अपनी याचिका में, यह अनुरोध किया गया है कि देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की काफी संख्या है और सभी इकाईयां साल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य है। इस आवेदन का विशेष रुप से समर्थन काफी संख्या में उत्पादकों जैसे मैसर्स अदानी विलमर लि., मैसर्स रुचि सोया इंडस्ट्रीज लि., मैसर्स इमामी एग्रोटेक लि. मैसर्स लिबर्टी ऑयल मिल्स लि., मैसर्स कॉफको इन्टरनेशनल, मैसर्स गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लि., मैसर्स 3 एफ इंडस्ट्रीज लि., मैसर्स ओजोन प्रोकोन प्रा.लि., मैसर्स जैमिनी एडिबल फैट्स एंड ऑयल्स लि. द्वारा किया गया है। इस तथ्य के बल पर कि यह संघ भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादक का एक प्रमुख अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है, इस कारण से साल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास वर्तमान याचिका दायर करने का आधार है और इसे घरेलू उद्योग के रुप में माना जाए।

4. जांच की अवधि: जांच की अवधि (पी ओ आई) जनवरी, 2019-जून,2019 के रुप में ली गई है। क्षति की जांच की अवधि 2016-17, 2017-18, 2018-19 और जांच की अवधि है।

5. संबद्ध देश: वर्तमान जांच में शामिल देश मलेशिया है।

6. बढ़ा हुआ आयात: याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रुप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान पी यू सी के आयातों में अचानक, तीव्र और अत्यधिक वृद्धि हुई है। आयातों में वृद्धि की दर को भारत में अवधि, मात्रा, आयातों और खपत पर विचार करते हुए बहुत अधिक माना गया है।

7. घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति: आवेदक ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति होने का खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। आवेदक ने इस उत्पाद के लिए उत्पादन, बिक्री और क्षमता का उपयोग में बहुत अधिक गिरावट का दावा किया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके लाभ और उत्पादकता में गिरावट आई है। रोजगार के संबंध में, उन्होंने यह दावा किया है कि इस उत्पाद के लिए तैनात किए गए रोजगार में उसी अवधि के दौरान गिरावट आई है। आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उत्पादकों को समग्र मानने के आधार पर क्षति पर विचार करना उपयुक्त होगा। इसके अलावा आवेदक ने यह दावा किया है कि उत्पादन का एक मात्र स्रोत या तो घरेलू है अथवा आयात किया गया कच्चा माल है और केवल कच्चे माल का उपयोग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के होता है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उत्पादक निम्न शेल्फ जीवन काल के कारण लंबी अवधि के लिए माल भंडार में या तो कच्चे माल अथवा तैयार किए गए उत्पाद को नहीं रख सकते हैं और कच्चे माल से इस उत्पाद के उत्पादन के लिए खपत मानदंड को ही समुचित रुप से मानकीकृत नहीं किया गया है बल्कि वैश्विक स्तर पर उस पर भी विचार किया जा सकता है। इन कारणों से, आवेदक ने यह दावा किया है कि उत्पादन का सटीक रुप में आकलन इस उत्पाद की खपत पर विचार कर किया जा सकता है और इस बिक्री पर विचार उसी स्तर पर किया जा सकता है जो उत्पादन का है और लाभ, रोजगार और उत्पादकता में परिवर्तन का आकलन कच्चे माल की खपत और परिणामस्वरुप उत्पादन और बिक्री में परिवर्तनों के आधार पर किया जा सकता है।

8. आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क को तत्काल लगाए जाने के लिए अनुरोध किया है।

9. याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए आवेदन की जांच करने के बाद, प्राधिकारी प्रथम द्रष्टया यह पातें हैं कि जांच के अधीन उत्पाद के आयातों में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके कारण भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों को

गंभीर क्षति हो रही है और आयातों में बहुत अधिक वृद्धि और क्षति के बीच मौजूद कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं । इसके अलावा, आयातों के कारण भारत में इस उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है । इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से इसे उपयुक्त माना जा सकता है कि क्या मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद का आयात बढ़ा हुआ आयात है और क्या बढ़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा गंभीर क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है ।

10. सभी हितबद्ध पक्षकार इस नोटिस के जारी किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत करा सकते हैं:

महानिदेशक,

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी जी टी आर),

जीवन तारा बिल्डिंग, 4थी मंजिल,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

11. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को भी अलग से पत्र लिखा जा रहा है।

12. इस जांच का कोई अन्य पक्षकार जो एक हितबद्ध पक्षकार के रुप में विचार किया जाना चाहता हो, अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है जिससे कि वह इस नोटिस के जारी किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर महानिदेशक तक पहुंच जाए।

13. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी हो तब महानिदेशक रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकार्ड कर सकते हैं। यह सूचना हार्ड कॉपी और साफ्ट कॉपी में ही प्रस्तुत की जाए।

14. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना – प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली का उत्तर सहित कोई अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों से यह अपेक्षित है कि यदि "गोपनीयता"का दावा उसके किसी हिस्से के संबंध में किया गया हो तब वे दो अलग-अलग सेट में उसे प्रस्तुत करें। "गोपनीय"अथवा "अगोपनीय"अनुरोधों को निश्चित रुप से प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रुप से "गोपनीय"अथवा "अगोपनीय"अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकार अंकित न किए जाने पर किए गए किसी भी आवेदन को महानिदेशक द्वारा अगोपनीय के रुप में माना जायेगा और महानिदेशक के पास यह स्वतंत्रता होगी कि वे अन्य हित पक्षकारों को इस प्रकार के अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति दें। दोनों पाठों की सॉफ्ट कॉपी भी हार्ड कॉपी के साथ साथ प्रत्येक के दो (2) सेट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा। गोपनीय पाठ में वे सभी सूचना निहित होगी जो गोपनीय प्रकृति की है और अन्य सूचना जो इस तरह की सूचना के देने वाला गोपनीय के रुप में दावा करता है। वह सूचना जिसे गोपनीय प्रकृति का होने का दावा किया जाता है अथवा वह सूचना जिस पर अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, सूचना उपलब्ध कराने वाले से यह अपेक्षित है कि वे इस संबंध में कि क्या इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है, उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ साथ एक सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं । अगोपनीय पाठ को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीय होने का दावा किया जाता है के आधार पर अधिमान्य रूप से संलग्न अथवा ब्लेंकआऊट (यदि सूचीबद्ध करना संभव नहीं हो) और उसका सारांश के साथ गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश निश्चित रुप से गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना के मूलभाव को उचित रुप से समझने की अनुमति देने के लिए विस्तृत विवरण में होना चाहिए। हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और उन कारणों का विवरण कि क्यों सारांश किया जाना संभव नहीं है निश्चित रुप से महानिदेशक की संतुष्टि के अनुसार उपलब्ध कराया जाना चाहिए । महानिदेशक प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हो जायें कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना उपलब्ध कराने वाले उस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं है अथवा सामान्य रुप में या सारांश रुप में इसे प्रकट किए जाने का अधिकार देते है तब यह इस प्रकार की सूचना को नहीं मान सकते हैं। कोई भी अनुरोध जिसका सार्थक अगोपनीय पाठ उपलब्ध नहीं कराया गया हो अथवा गोपनीयता के दावे के

संबंध में सही कारणों को उपलब्ध नहीं कराया गया हो तब उस अनुरोध को महानिदेशक द्वारा रिकार्ड पर नहीं लिया जायेगा। संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर महानिदेशक इस प्रकार की सूचना को देने वाले पक्षकार की विशेष अधिकरण के बिना इसे किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।

15. कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

16. यदि जहां कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्राप्त किए जाने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उसे उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में पर्याप्त रुप से बाधा पहुंचाता है तब महानिदेशक अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकार्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें जिसे उपयुक्त माना जाता हो, कर सकते हैं ।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2019

Initiation

(Bilateral Safeguard Investigation)

[Case No. (SG) 04/2019]

Subject: Notice of initiation of Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of "Refined Bleached Deodorised Palmolein and Refined Bleached Deodorised Palm Oil" into India from Malaysia under India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017

F. No. 22/4/2019-DGTR.—An application has been filed under India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter also referred to as the "said Rules") by the Solvent Extractors' Association of India on behalf of the Indian domestic producers, through M/s TPM Consultants, New Delhi alleging increased imports of "Refined Bleached Deodorised Palm Oil" and "Refined Bleached Deodorised Palmolein" (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or "PUC" or subject goods) from Malaysia (also referred to as subject country) causing serious injury / threat of serious injury to the domestic producers of like or directly competitive product in India.

2. **Product Under Consideration (PUC) :** The product under consideration in the present investigation is "Refined Bleached Deodorised Palm Oil" and "Refined Bleached Deodorised Palmolein" (also known as RBD Palm Oil and RBD palmolein, respectively), falling under the HS code 15119010 and 15119020 of the Customs Tariff Act, 1975.

3. **Domestic Industry:** The application has been filed by the Solvent Extractors' Association of India on behalf of the producers of "Refined Bleached Deodorised Palm Oil" and "Refined Bleached Deodorised Palmolein" in India. The petition contains information for the Indian industry as a whole. In their petition, it has been submitted that there are large number of producers of subject goods in the country and all units are members of the Solvent Extractors' Association of India. The application has been specifically supported by large producers like M/s Adani Wilmar Ltd., M/s Ruchi Soya Industries Ltd., M/s Emami Agrotech Ltd, M/s Liberty Oil Mills Ltd., M/s COFCO International, M/s Gokul Agro Resources Ltd, M/s 3F Industries Ltd., M/s Ozone Procon Pvt. Ltd., M/s Gemini Edible Fats & Oils Ltd. By virtue of the fact that the association represents a major proportion of the total production of subject goods in India, therefore, Solvent Extractors' Association of India have standing to file the present petition and be treated as domestic industry.

4. **Period of Investigation:** The period of investigation (POI) has been taken as January 2019 -June, 2019. The injury investigation period is 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the POI.

5. **Subject country:** The country involved in the present investigation is Malaysia.

6. **Increased Imports:** The petitioner has claimed that **i**mports of product under consideration from Malaysia have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. It is noted that there is a sudden, sharp and significant increase in imports of PUC during the investigation period**.** The rate of increase in imports is considered significant considering the duration, the quantum, the imports and the consumption in India.

7. **Serious Injury to the domestic industry:** The applicant has claimed that the increased imports of product under consideration has caused and is also threatening to cause serious injury to the domestic producers during the POI. The applicant has claimed significant decline in production, sales and capacity utilization for the product. They have also claimed that market share of Indian industry has declined whereas market share of imports have increased. They have also claimed that their profits and productivity have declined. With regards to employment, they have claimed that the employment deployed for the product has declined during the same period. The applicant has claimed that it would be appropriate to consider injury on the basis of domestic producers as a whole. The applicant has further claimed that the only source of production is either domestic or imported raw material and the only use of raw material is in production of the product under consideration. They have also claimed that the producers cannot hold either raw material or finished product in inventories for long period due to low shelf life, and the consumption norms for production of product from the raw material are not only fairly standardized but also can be considered globally the same. For these reasons, the applicant has claimed that the production can be accurately assessed by considering the consumption of the product, and sales can be considered at the same level as production, and the changes in profits, employment and productivity can be assessed on the basis of changes in raw material consumption and consequently production and sales.

8. The applicant has requested for immediate imposition of bilateral safeguard duty in view of significant increase in imports of subject goods from subject country.

9. After examining the application filed by petitioner, the Authority prima facie finds that there is sufficient evidence that imports of product under investigation have increased significantly causing serious injury to the domestic producers of the like article in India and there is causal link between increased imports from subject country and serious injury to Domestic Industry. Further, imports are threatening to cause serious injury to the domestic producers of the product in India. It is considered appropriate to initiate in order to determine whether the imports of the product under consideration from Malaysia constitute increased imports and whether the increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic producers.

10. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to:

Director General

Directorate General of Trade Remedies (DGTR),

Jeevan Tara Building, 4th Floor

5, Parliament Street,

New Delhi -110001

11. All known interested parties are also being addressed separately.

12. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General on aforementioned address within 30 days from the date of this notice.

13. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Director General may record its findings on the basis of the facts available on record. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

14. Submission of Information on Confidential Basis – The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Director General and the Director General shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional

circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Director General. The Director General may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Director General is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Director General. The Director General on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

15. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

16. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Director General may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.08.16 15:19:56 +05'30'